संख्याः 308/XX(05)/11–07(ना0सु0)(बजट)11

प्रेषक,

जे0पी0जोशी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग–5

देहरादूनः दिनांक 5 मई, 2011

विषयः–**वित्तीय वर्ष 2011–12 में नागरिक सुरक्षा विभाग हेतु प्रावधानित धनराशि निर्गत करने के सम्बंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–रोजी–59/हो0गा0/2010/44 दिनांक 08–04–2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त के संबंध में शासनादेश सं0–281/XX(5)10–07(ना0सु0)/11 दिनांक 07–04–2011 के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2011–12 में नागरिक सुरक्षा विभाग के निम्न विवरणानुसार रू0 4,79,000/– (रूपये चार लाख, उन्नयासी हजार मात्र) धनराशि की सहर्ष स्वीकृति तथा परान्त अंकित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:–

03–स्थापना (25 प्रतिशत केन्द्र पोषित)

0301 सामान्य

	मानक मद	धनराशि (हजार रू0 में)
1	04– यात्रा व्यय	19
2	08–कार्यालय व्यय	25
3	11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	12
4	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	25
5	13–टेलीफोन व्यय	20
6	15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	45
7	17–किराया उपशुल्क और कर–स्वामित्व	200
8	26–मशीन और सज्जा/उपकरण संयत्र	25
9	31–सामग्री सम्पूर्ति	1
10	42–अन्य व्यय	5
11	44–प्रशिक्षण व्यय	25
12	45–अवकाश यात्रा व्यय	12
13	46–कम्प्यूटर क्रय	50
14	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण	15
	योगः– (रूपये चार लाख, उन्नयासी हजार मात्र)	**479**

2- जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी अदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग या अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई दायभार/दायित्व सृजित किया जाय।

4- जारी स्वीकृति के सापेक्ष व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग तथा गृह विभाग को प्रत्येक माह दिलम्बतम 20 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

5- मितव्ययिता सम्बंधी शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

6- इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान संख्या-06 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106-सिविल रक्षा-03-स्थापना (25 प्रतिशत केन्द्र पोषित)-00-आयोजनेत्तर की सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31.03.2011 के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(जे0पी0जोशी)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 308/XX(05)/10-07(हो0गा0)/10 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, मेजर रोड, देहरादून।
2-निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह उत्तराखण्ड शासन।
3-वित्त अनुभाग-1/5
4-एन0 आई0 सी0 सचिवालय परिसर।
5-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0 एस0 चौहान)
अनु सचिव।